



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खण्डपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 1589/1999

अपीलार्थी क्रमांक 1/अनावेदक क्रमांक 3:

नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, केशकाल, बस्तर, द्वारा मण्डलीय प्रबंधक, बीमा कंपनी
कंपनी नेशनल लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय, 495, मरहाताल, जबलपुर (म.प्र.)

अपीलार्थी क्रमांक 2/अनावेदक क्रमांक 1:

राज कुमार सिंह राठौर, आत्मज अज्ञात, आयु लगभग 35 वर्ष, स्वामी ट्रक क्रमांक
एमपी-26/9641, निवासी कोरर, थाना: चारामा, जिला: बस्तर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार:

श्रीमती शकुंतला अग्रवाल, पति स्व. सुशील कुमार अग्रवाल, द्वारा श्याम सुंदर अग्रवाल,
मकान क्रमांक बी-9, सेक्टर-2, देवेंद्र नगर, रायपुर (म.प्र.)

प्रत्यर्थी क्रमांक 2/दावेदार:

कु. सोनम अग्रवाल, आत्मज स्व. सुशील कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 6
वर्ष(अवयस्क)



प्रत्यर्थी क्रमांक 3/ दावेदार:

सुमित अग्रवाल, आत्मज स्व. सुशील कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 3 ½ वर्ष
(अवयस्क)

सभी प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 का प्रतिनिधित्व द्वारा नैसर्गिक संरक्षिका माता श्रीमती
शकुंतला अग्रवाल, पति स्व. सुशील कुमार अग्रवाल, द्वारा श्याम सुंदर अग्रवाल, मकान
क्रमांक बी-9, सेक्टर-2, देवेंद्र नगर, रायपुर (म.प्र.)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील

उपस्थिति:

- श्री गौतम खेत्रपाल, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।
- श्री संतोष भारत, प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता।



आदेश

(7 मार्च, 2008)

न्यायालय का निम्नलिखित राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पारित
किया गया।

यह अपील बीमाकर्ता और दुर्घटनाकारी वाहन-ट्रक पंजीकरण संख्या एमपी-
26/9641 के स्वामी द्वारा संयुक्त रूप से चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
रायपुर (इसके बाद "अधिकरण") द्वारा मोटर दावा प्रकरण क्रमांक 59/95 में पारित
अधिनिर्णय दिनांक 29.04.1999 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके माध्यम से मृतक
सुशील कुमार अग्रवाल की दिनांक 24.04.1995 को हुई मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए



दावेदारों को रु. 3,32,564/- का प्रतिकर, दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अधिनिर्णीत किया गया था।

2) प्रत्यर्थीगण/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष भारत ने तर्क दिया कि बीमाकर्ता और दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अपील, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चिनम्मा जॉर्ज एवं अन्य बनाम एन.के. राजू एवं अन्य, 2000 ए.सी.जे. 77** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में पोषणीय नहीं है।

3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिनम्मा (उपरोक्त) के प्रकरण में बीमाकर्ता और दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अपील की पोषणीयता का परीक्षण करते हुए कंडिका 9, 10 एवं 11 में निम्नानुसार अवधारित किया:

"9. विचारणीय प्रश्न यह है कि: क्या बीमाकर्ता, दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने में स्वामी या चालक के साथ संयोजित हो सकता है, जबकि चालक या स्वामी व्यथित व्यक्ति हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नरेन्द्र कुमार बनाम यारेनिसा, 1998 ए.सी.जे. 244 (एस.सी.) में निर्धारित किया गया है? इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपील चालक या स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर पोषणीय होगी न कि बीमाकर्ता द्वारा और, इस प्रकार, चालक या स्वामी द्वारा दायर की गई संयुक्त अपील पोषणीय हो सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया:

"उपरोक्त कारणों से, हमारा यह अभिमत है कि बीमाकर्ता और दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा की गई संयुक्त अपील के प्रकरण में भी, यदि अपकृत्यकारी के साथ-साथ बीमाकर्ता के विरुद्ध भी अधिनिर्णय पारित किया गया है, भले ही बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील सक्षम न हो, इसे इस रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।



अपकृत्यकारी वाद-शीर्षक में बीमाकर्ता का नाम हटाकर उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात अपील को आगे बढ़ा सकता है।"

10. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस प्रस्थापना में कोई विवाद नहीं है। किंतु बीमाकर्ता स्वामी या चालक के साथ संयुक्त अपील कायम नहीं रख सकता यदि धारा 149 (2) के अंतर्गत किसी भी आधार पर बचाव उसे उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त अपील अक्षम होगी। यह पर्याप्त नहीं है यदि बीमाकर्ता का नाम अपीलार्थीगण की सूची से हटा दिया जाए। अपीलीय न्यायालय को यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि वह प्रतिवाद जिसे अधिनियम के अंतर्गत बीमाकर्ता को लेने की अनुमति है उसे अभिवचनों में लिया गया था और अधिकरण के समक्ष उस पर बल दिया गया था। अपीलीय न्यायालय के इस प्रकार संतुष्ट होने पर, बीमाकर्ता द्वारा लिए गए ऐसे बचाव से उत्पन्न/संबंधित प्रश्न पर अधिकरण के निर्णय की शुद्धता या अन्यथा के परीक्षण हेतु अपील पर विचार किया जा सकता है। यदि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि बीमाकर्ता द्वारा अभिवचनों में ऐसा कोई प्रश्न उठाया गया था और/या अधिकरण के समक्ष उस पर बल दिया गया था, तो बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील को पोषणीय न होने के कारण खारिज करना होगा। न्यायालय को उचित विचारोपरांत इस स्थिति को सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रतिकर के दावे की कार्यवाही में बीमाकर्ता के विरुद्ध वैधानिक अवरोध, बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को सह-अपीलार्थी के रूप में जोड़कर की गई अपील के दांव-पेंच से अप्रासंगिक न हो जाए। यह स्थिति अधिनियम की धारा 147, 149 और 173 के वैधानिक प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण पठन से स्पष्ट है। कोई भी अन्य व्याख्या धारा 149 की उप-धारा (2) के प्रावधान को विफल कर देगी और मृतक के विधिक प्रतिनिधियों या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बीमाकर्ता के माध्यम से अनावश्यक लंबे मुकदमेबाजी में धकेल देगी।

11. वर्तमान प्रकरण में हमें ऐसा कोई तर्क नहीं मिलता जो दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी की ओर से दिया गया हो और एकमात्र तर्क, जिसे उच्च न्यायालय ने दर्ज किया था, वह बीमाकर्ता के अधिवक्ता का था। वह तर्क अपीलार्थीगण को प्रदान किए गए प्रतिकर की राशि पर था। वह आधार निश्चित रूप से अपील दायर करने के प्रयोजन हेतु बीमाकर्ता को उपलब्ध नहीं है। अतः, हम यह निर्धारित करते हैं कि स्वामी को





संयोजित कर बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सक्षम नहीं थी, क्योंकि दावा याचिका का बचाव करने हेतु बीमाकर्ता के पास कोई आधार उपलब्ध नहीं था।"

4) बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के समक्ष, बीमा कंपनी और दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अपील की विचारणीयता के बारे में हमें संतुष्ट नहीं कर सके।

5) अतः, हम यह निर्धारित करते हैं कि बीमाकर्ता और दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा संयुक्त रूप से दायर वर्तमान अपील सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत सिद्धांत के आलोक में पोषणीय नहीं है।

6) यदि वर्तमान अपील को केवल दुर्घटनाकारी वाहन के बीमाकर्ता की ओर से अपील माना जाए, तो भी अपील खारिज होने योग्य है क्योंकि इस अपील में एकमात्र चुनौती अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की मात्रा पर है और निर्विवाद रूप से अपीलार्थी - बीमा कंपनी को अधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत सभी उपलब्ध बचावों पर दावे का विरोध करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

7) सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निकोलिड्डा रोहतगी एवं अन्य, 2003 (3) टी.ए.सी. 293 (एस.सी.) के प्रकरण में कंडिका 31 एवं 32 में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

"31. हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि जब तक 1988 के अधिनियम की धारा 170 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं, बीमा कंपनी के पास गुणावगुणपर अधिनिर्णय को चुनौती देने का



अपील का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति में जहाँ दावेदारों और बीमित व्यक्ति के बीच अभिसंधि हो या बीमित व्यक्ति दावे का विरोध नहीं करता है और, इसके अतिरिक्त, अधिकरण बीमा कंपनी को दावे का विरोध करने हेतु पक्षकार नहीं बनाता है, ऐसे मामलों में बीमाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला है कि वह अधिकरण से बीमित व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसे विरुद्ध दावा किया गया है, को उपलब्ध आधार पर दावे का विरोध करने की अनुमति मांगे। यदि अनुमति प्रदान की जाती है और बीमाकर्ता को गुणावगुण पर दावे का विरोध करने की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में बीमाकर्ता के लिए व्यथित होने पर, गुणावगुण पर अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर करना संभव है। किसी भी ऐसे प्रकरण में जहाँ अनुमति हेतु आवेदन त्रुटिपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया गया हो, बीमाकर्ता 1988 के अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आधारों पर अपील दायर करते समय आदेश के केवल उसी भाग को चुनौती दे सकता है। किंतु अनुमति हेतु ऐसा आवेदन सद्भावी होना चाहिए और उस चरण में दायर किया जाना चाहिए जब बीमित व्यक्ति को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना हो। जहाँ तक दावेदार द्वारा कपट के माध्यम से प्रतिकर प्राप्त करने का प्रश्न है, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि कपट संपूर्ण कार्यवाही को दूषित कर देता है और ऐसे प्रकरणों में बीमाकर्ता के लिए अधिनिर्णय के सुधार हेतु अधिकरण में आवेदन करना संभव है।

32. इन कारणों से, इस प्रश्न पर हमारा उत्तर यह है कि भले ही बीमित व्यक्ति द्वारा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध 1988 के अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत कोई अपील न की गई हो, बीमाकर्ता के लिए प्रतिकर की मात्रा के साथ-साथ उपेक्षा के संबंध में निष्कर्षों पर प्रश्न उठाते हुए दुर्घटनाकारी वाहन की उपेक्षा या अंशदायी उपेक्षा के संबंध में अपील दायर करना अनुमेय नहीं है।"

8) इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अपीलार्थी बीमा कंपनी और

दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी द्वारा संयुक्त रूप से दायर अपील खारिज होने योग्य है।



9) इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के अभिवचनों; अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों; और अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सम्यक विचारोपरांत, हम संतुष्ट हैं कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत रु. 3,32,564/- का प्रतिकर न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

10) पूर्वगामी कारणों से, अपील विफल होती है और एतद्वारा खारिज की जाती है।

11) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

